

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 70 दिनांक 18-11-2016

स्कीम नं. 54 में निर्मित भवनों के संचालन/संधारण कार्य हेतु नीति निर्धारण एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 674/योजना/2016-17 दिनांक 3.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर 5 वर्ष की अवधि के कार्य हेतु आवश्यक शर्तों के आधार पर निविदा आमंत्रित करने एवं पार्किंग भवनों में वाहनों की पार्किंग के लिए निम्नांकित प्रस्तावित दरों का निर्धारण व निविदा फार्म का अनुमोदन निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से किया जाता है।

S.No.	Vehicle Type	Day Parking Charges in Rupees (8 AM To 10 PM)		Night Parking Charged in Rupees (8 AM To 10 PM)		Enforcement against illegal Parking in prohibited areas	Monthly pass
		For the 1St two hours	Hourly rate for further hours	Hourly Rate	Over night rate		
1	TwoWheelers	5/-	5/-	2/-	15/-	100/-	200/-
2	fourWheelers	15/-	10/-	5/-	35/-	500/-	900/-

3. पार्किंग भवन के ऑपरेटर को तीनों पार्किंग के लिये प्रतिवर्ष रुपये 50.00 लाख की निश्चित राशि का भुगतान किया जाना होगा, जिसका अनुपातिक भुगतान (रुपये 12.50 लाख) प्रति तीन माह की समयावधि में अग्रिम जमा करना होगा, समय पर भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर से पेनल्टी (Penalty) का भुगतान करना होगा। ऑपरेटर को पार्किंग भवनों से प्राप्त होने वाली आय की शेयरिंग निविदा में दी गई दर अनुसार निगम से करना होगी। ऑपरेटर को प्रतिमाह पार्किंग किये जाने वाले वाहनों की जानकारी निगम को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

4. पार्किंग भवनों की संचालन/संधारण की अवधि 5 वर्ष होगी तथा निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरान्त निगम के पास यह अधिकार होगा कि, पार्किंग के सुचारु संचालन एवं संधारण की स्थिति में निर्धारित प्रीमियम राशि अनुसार पुनः उसी एजेन्सी को पार्किंग भवनों के संचालन/संधारण का कार्य एक-एक वर्ष की स्वीकृति पर अधिकतम 3 वर्ष तक की समयावधि वृद्धित की जा सकेंगी।

6. निगम द्वारा निर्धारित क्षेत्र में विज्ञापन से प्राप्त होने वाली आय ऑपरेटर की रहेगी किन्तु प्रदर्शित विज्ञापन का विज्ञापन कर प्रचलित विज्ञापन दर से नियमानुसार निगम को भुगतान करना होगा।

5. स्कीम नं. 54 फार्च्यून लेण्डमार्क होटल के समीप पार्किंग भवन के उत्तर भाग में निर्मित 09 दुकाने तथा स्कीम नं. 54 (पीयू-3) रघुनाथ पेट्रोल पम्प के समीप पार्किंग भवन के अग्र भाग में निर्मित 01 दुकान का नियमानुसार का संचालन/संधारण किये जाने की कार्यवाही अलग से की जावें। पार्किंग भवन के संचालन/संधारणकर्ता एजेन्सी का इन दुकानों एवं परिक्षेत्र में किसी भी तरह का हस्तक्षेप/अधिकार नहीं रहेगा।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 71 दिनांक 18-11-2016

डॉ. ओम नागपाल शोध संस्थान को वर्ष 2016-17 की अनुदान राशि प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1012 दिनांक 05/10/2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में शिक्षाविद स्व. डॉ. ओम नागपाल की स्मृति में नगर निगम, इन्दौर एवं डॉ. ओम नागपाल विचार मंच के द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित शोध संस्थान में विभिन्न विषयों के शोधार्थियों के लिये पुस्तकें उपलब्ध कराने एवं संस्थान के रख-रखाव एवं संचालन के लिए वर्ष 2016-17 के लिए राशि रूपये 3,00,000/- लाख (अक्षरी रूपये- तीन लाख मात्र) का आर्थिक अनुदान का देने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में की जाती है। राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

प्रकरण पुष्टि हेतु निगम परिषद् के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त।
 2. रेसीडेन्टआडिट।
- की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 72 दिनांक 18-11-2016

लोक लेखा समिति के 42 वें प्रतिवेदन (विधानसभा) पर कार्यवाही के अन्तर्गत बकाया जल परीक्षण राशि अपलेखन किये जाने विषयक संक्षिप्त विवरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 8929 दिनांक 19.09.2016 पर प्रभारी जलकार्य की राय क्रमांक 06 दिनांक 23.09.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में विगत 23 वर्षों से कार्यपालन यंत्री, संधारण खण्ड क्रमांक-2 के विभिन्न प्रयासों व अपर आयुक्त के तीन प्रयासों के पश्चात भी शासकीय विभाग व स्थानीय निकायों से वर्ष 1988 से 1992 तक की बकाया शेष जल परीक्षण की राशि की प्राप्ति की संभावना नगण्य होने की दशा में प्राप्त प्रस्ताव अन्तर्गत राशि रुपये 78,858/- को अपलेखन किये जाने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

3. निगम परिषद स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार अनुमोदन हेतु शासन की ओर भेजा जावें।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 74 दिनांक 18-11-2016

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार मैरेज गार्डन/विवाह स्थल के निगम लायसेंस जारी करने के संबंध में उपविधियां बनाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 348 दिनांक 05.10.16 पर प्रभारी राजस्व विभाग की राय क्रमांक 258 दिनांक 29.10.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 44/2011 में पारित निर्णय के प्रकाश में मैरेज गार्डन/विवाह स्थल के निगम लायसेंस जारी करने संबंधी कार्य हेतु निगम में प्रचलित पूर्व प्रक्रियाएं एवं शुल्क निरस्त (समाप्त) कर, माननीय न्यायालय द्वारा प्रभावशील की गई उपविधियों अनुसार कार्यवाही की जाना एवं माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश यथावत प्रभावशील किये जाने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

3. उपविधियों में उल्लेखित अनुसार अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण का शुल्क निम्नानुसार वसूल किया जावे :-

- | | |
|---|------------------|
| 1. 1500 वर्ग.मी. तक के विवाह स्थल के लिये | - 2000/- वार्षिक |
| 2. 1500 से 5000 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल के लिये | - 4000/- वार्षिक |
| 3. 5000 वर्ग मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये | - 6000/- वार्षिक |

4. विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्क क्षेत्रफल अनुसार निम्नानुसार वसूल किया जावे :-

- | | |
|--|-------------------|
| 1. 1000 वर्ग.मी. तक के विवाह स्थल के लिये | - 3500/- वार्षिक |
| 2. 1000 से 1500 वर्ग मी. तक के विवाह स्थल के लिये | - 7000/- वार्षिक |
| 3. 1500 से 2500 वर्ग मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये | - 9000/- वार्षिक |
| 4. 2500 से 5000 वर्ग मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये | - 12000/- वार्षिक |
| 5. 5000 वर्ग मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिये | - 15000/- वार्षिक |

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 75 दिनांक 18-11-2016

नगर निगम पेंशनर्स एसोसिएशन इन्दौर के 75 वर्ष की आयु के सदस्यों का वर्ष 2017 में हो रहे सम्मान समारोह हेतु संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 05-10-2015 पर प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 518 दिनांक 14-10-16 पर विचार किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाशा में प्रतिवर्षानुसार नगर निगम पेंशनर्स एसोसिएशन इन्दौर को 75 वर्ष की आयु के सदस्यों के सम्मान समारोह हेतु राशि रूपये 21,000/- (अक्षरी रूपये-इक्कीस हजार मात्र) का अनुदान देने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है। नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त,।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 76 दिनांक 18-11-2016

गणेशोत्सव समारोह हेतु निगम अनुदान के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 801 दिनांक 06.08.2016 पर प्रभारी विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग की राय 444 दिनांक 31.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त प्रभारी विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में गणेशोत्सव समिति के निर्णय व अनुशंसानुसार प्राचीन परम्परा अनुसार निगम परिसर में श्री गणेश जी की स्थापना एवं गणेशोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व मनोहरी, नयनाभिराम झॉकियों के निर्माण व अनंत चतुर्दशी चल समारोह व्यवस्था हेतु श्री गणेश उत्सव समिति नगर पालिक निगम, इन्दौर को राशि रुपये 20 लाख का अनुदान देने की कार्योत्तर स्वीकृति निगम परिषद् स्वीकृति की प्रत्याश में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "गणेश विसर्जन झांकी हेतु निगम अंशदान" में से होगा।

प्रकरण पुष्टि हेतु निगम परिषद् के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांकदिनांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त।
 2. रेसीडेन्टआडिटर।
- की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 75

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 77 दिनांक 18-11-2016

शहर के प्रमुख मार्गो एप्रोच रोड एवं लिंक रोड निर्माण (पैकेज-1) के अन्तर्गत सीमेन्ट कांक्रिट सड़क निर्माण कार्य के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 486 दिनांक 01.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में विभागीय प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित स्वीकृति निगम परिषद् स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है :-

1. समिति द्वारा चयनित सड़को का अनुमोदन एवं पुष्टि।
2. एप्रोच रोड एवं लिंक रोड पैकेज-1 के अनुबंध राशि रु. 86.99 करोड में 25 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति की पुष्टि।
3. एप्रोच रोड एवं लिंक रोड पैकेज-1 कार्य हेतु अनुबंधित एजेन्सी मे. पी.डी. अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लि. से कार्य कराये जाने की स्वीकृति की पुष्टि।
4. पुनरीक्षित अनुमान पत्रक अनुसार 25 प्रतिशत वृद्धि हेतु अतिरिक्त कार्यों के अनुमान पत्रक की प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि।
5. अनुबंध प्रावधानों के अंतर्गत समयावधि में वृद्धि अनुबंध की शर्त क्र. 4 के अंतर्गत कार्य में वृद्धि एवं कार्य में बाधक वैध/अवैध निर्माण/अतिक्रमण, न्यायालयीन प्रकरण, विद्युत लाईन शिफ्टिंग आदि कारणों से कार्य की प्रगति में व्यवधान होने के कारण जो कि निगम एवं निर्माण कम्पनी दोनों ही के नियंत्रण में नहीं होने से आयुक्त/एम.डी. आय.डी.एफ.एल. द्वारा कार्य हेतु निर्धारित समयावधि 3 वर्ष में पूर्ण नहीं होने पर 1.25 वर्ष (15 माह) की समयावधि में की गई वृद्धि की पुष्टि एवं उक्त अनुसार शेष कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 0.75 वर्ष (9 माह) की समयावधि में वृद्धि करने की स्वीकृति।

6. चयनित शेष सडको के निर्माण हेतु राशि रू. 43.60 करोड की प्रशासकीय, तकनीकी, वित्तीय एवं नवीन निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति।
7. विभिन्न स्तरों से नवीन सडक निर्माण कार्य शामिल करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं मुख्य मार्गों के निर्माण को शामिल करने हेतु पुर्व अनुसार माननीय महापौर महोदय, प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर की समिति को अधिकृत करने की स्वीकृति।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 78 दिनांक 18-11-2016

शहर के प्रमुख मार्गो एप्रोच रोड एवं लिंक रोड निर्माण (पैकेज-2) के अन्तर्गत सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 490 दिनांक 05.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में विभागीय प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है :-

1. समिति द्वारा चयनित सड़को का अनुमोदन एवं पुष्टि।
2. एप्रोच रोड एवं लिंक रोड पैकेज-2 के अनुबंध राशि रु. 86.99 करोड में 25 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति की पुष्टि।
3. एप्रोच रोड एवं लिंक रोड पैकेज-2 कार्य हेतु अनुबंधित एजेन्सी में सोम प्रोजेक्ट प्रा. लि. से कार्य कराये जाने की स्वीकृति की पुष्टि।
4. पुनरीक्षित अनुमान पत्रक अनुसार 25 प्रतिशत वृद्धि हेतु अतिरिक्त कार्यो के अनुमान पत्रक की प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि।
5. अनुबंध प्रावधानों के अंतर्गत समयावधि में वृद्धि अनुबंध की शर्त क्र. 4 के अंतर्गत कार्य में वृद्धि एवं कार्य में बाधक वैध/अवैध निर्माण/अतिक्रमण, न्यायालयीन प्रकरण, विद्युत लाईन शिफ्टिंग आदि कारणो से कार्य की प्रगति में व्यवधान होने के कारण जो कि निगम एवं निर्माण कम्पनी दोनों ही के नियंत्रण में नहीं होने से आयुक्त/एम.डी. आय.डी.एफ.एल. द्वारा कार्य हेतु निर्धारित समयावधि 3 वर्ष में पूर्ण नहीं होने पर 1 वर्ष की समयावधि में की गई वृद्धि की पुष्टि एवं उक्त अनुसार शेष कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 1 वर्ष की समयावधि में वृद्धि करने की स्वीकृति।
6. चयनित एवं नवीन सम्मिलित शेष सड़को के निर्माण हेतु राशि रु. 78.97 करोड की प्रशासकीय, तकनीकी, वित्तीय एवं दो पैकेज में राशि रु. 38.27 करोड एवं रु. 40.70 करोड की नवीन निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति।
7. विभिन्न स्तरों से नवीन सड़क निर्माण कार्य शामिल करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं मुख्य मार्गों के निर्माण को शामिल करने हेतु पुर्व अनुसार माननीय महापौर महोदय, प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग एवं आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर की समिति को अधिकृत करने की स्वीकृति।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 79 दिनांक 18-11-2016

इन्दौर शहर के विजय नगर चौराहे का विकास करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 391/योजना/16-17 दिनांक 19.08.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 2,29,00,000/- पर द्वितीयबार प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार ठेकेदार मे. एम.जी. कंसट्रक्शन, ग्वालियर के द्वारा प्रस्तुत दर 4.90 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 11,22,100/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 2,40,22,100/- की प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 80 दिनांक 18-11-2016

इन्दौर शहर की प्रमुख सडकों के निर्माण के अन्तर्गत पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण हेतु फीडर रोड तृतीय चरण सीमेन्ट कांक्रीट सडक निर्माण कार्य के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 228 दिनांक 23.06.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा फीडर रोड तृतीय चरण के कार्य के अन्तिम भुगतान हेतु कंसलटेन्ट के द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित अनुमान पत्रक अनुसार राशि रुपये 2.65 करोड की प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य पुर्ण करने हेतु कार्य की समयावधि दिनांक 23.02.2015 तक (कंसलटेन्ट द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अनुसार) वृद्धि की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 81 दिनांक 18.11.2016

यशवंत सागर जलाशय को मछली पालन हेतु मत्स्य विभाग की नीति व नियम के अनुसार पट्टे पर देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 778 दिनांक 31.10.2015 पर प्रभारी जलकार्य विभाग की राय क्रमांक 67 दिनांक 02.11.15 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में यशवंत सागर जलाशय को मछली पालन हेतु मत्स्य विभाग की नीति व नियम के अनुसार पट्टे पर देने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 82 दिनांक 18-11-2016

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के इन्दौर से देवास खण्ड के कि.मी. 577.550 से 610.00 कि.मी. 0.000 से 12.600 तक का लेन चौड़ीकरण कार्य राऊ पर फलाई ओवर निर्माण कार्य में बाधक नर्मदा लाइन शिफ्टिंग का कार्य के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 11187 दिनांक 15.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 5,72,00,000/- की तकनीकी, प्रशासकीय स्वीकृति व आमंत्रित निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि एवं अनुमान पत्रक पर दिनांक 21.07.2016 को प्राप्त 09 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स विलास पाटिल एण्ड एसोसिएट्स भुसावल द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 14.70 प्रतिशत कम की राशि रहित रूपये 4.84 करोड़ के कार्य की वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यादेश जारी करने तथा यह कार्य "NHA हेतु डिपॉजिट" मद अन्तर्गत करने व उनसे राशि लिये जाने की स्वीकृति/पुष्टि विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 83 दिनांक 18-11-2016

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 में जवाहरमार्ग से चम्पाबाग की जोड़ने वाले मार्ग पर खान नदी पर पुल निर्माण हेतु निविदा स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 373 दिनांक 16.08.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 2.70 करोड़ पर प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता मेसर्स एपेक्स स्ट्रक्चर प्रा.लि., इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 75.21 प्रतिशत अधिक (एम.पी.यू.ए.डी.डी. एस.ओ.आर. 10.05.12 पर) की राशि 2,03,06,700/- सहित कुल आकार राशि रूपये 4,73,06,700/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदादर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 84 दिनांक 18-11-2016

झोन क्रं. 2 के अंतर्गत वार्ड क्रं. 6,67,68,69 एवं 70 की प्रायमरी लाईनों में सेकेण्डरी लाईनों को जोड़ने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2137 दिनांक 27.09.16 पर प्रभारी जलकार्य की समिति की राय क्रमांक 09 दिनांक 30.9.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु द्वितीयबार दिनांक 26.03.16 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म जे.पी. इंजिनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर, इन्दौर के द्वारा प्राक्कलन अनुसार प्रस्तुत न्यूनतम प्रचलित दर आयटम नम्बर 1 से 24 तक कुल राशि रूपये 1,42,15,451/- पर एस.ओ.आर. से दर 16.50 प्रतिशत अधिक सहित की राशि रूपये 1,65,61,000/- एवं आयटम नम्बर 25 नान एस.ओ.आर. दर प्राक्कलन अनुसार 100 मीटर ट्रेचलेंस की पद्धति के कार्य की राशि रूपये 38,02,500/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 2,03,63,500/-प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद " शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना" में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 85 दिनांक 18-11-2016

झोन क्रं. 15 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रं. 71, 72, 83 की प्रायमरी लाईनों में सेकेण्डरी लाईनों को जोड़ने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2038 दिनांक 20.09.16 पर प्रभारी जलकार्य की समिति की राय क्रमांक 04 दिनांक 21.9.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु द्वितीयबार दिनांक 26.03.16 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म जे.पी. इंजिनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर, इन्दौर के द्वारा प्राक्कलन अनुसार प्रस्तुत न्यूनतम प्रचलित दर आयटम नम्बर 1 से 24 तक कुल राशि रूपये 1,52,88,571/- पर एस.ओ.आर. से दर 16.50 प्रतिशत अधिक सहित की राशि रूपये 1,78,11,185/- एवं आयटम नम्बर 25 नान एस.ओ.आर. दर प्राक्कलन अनुसार 100 मीटर ट्रेचलेंस की पद्धति के कार्य की राशि रूपये 38,02,500/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 2,16,13,685/-प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद " शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना" में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 86 दिनांक 18-11-2016

झोन कं.14 के अंतर्गत वार्ड कं. 79,82,84,85 की प्रायमरी लाईनों में सेकेण्डरी लाईनों को जोड़ने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2138 दिनांक 27.09.16 पर प्रभारी जलकार्य की समिति की राय क्रमांक 08 दिनांक 30.9.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु द्वितीयबार दिनांक 26.03.16 को प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार फर्म जे.पी. इंजिनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर, इन्दौर के द्वारा प्राक्कलन अनुसार प्रस्तुत न्यूनतम प्रचलित दर आयटम नम्बर 1 से 24 तक कुल राशि रूपये 1,59,89,216/- पर एस.ओ.आर. से दर 16.50 प्रतिशत अधिक सहित की राशि रूपये 1,86,27,436/- एवं आयटम नम्बर 25 नान एस.ओ.आर. दर प्राक्कलन अनुसार 50 मीटर ट्रेचलेंस की पद्धति के कार्य की राशि रूपये 19,01,250/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 2,05,28,686/- प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद " शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना" में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 87 दिनांक 18-11-2016

नर्मदा जल प्रदाय योजना तृतीय चरण से इंटेकवेल से अतिरिक्त जलापूर्ति बढ़ाने हेतु निविदा की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3310 दिनांक 20.09.16 एवं पत्र क्रमांक 3916 दिनांक 15.11.16 पर प्रभारी, जलकार्य विभाग की राय दिनांक 18.11.16 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 157 दिनांक 22.12.015 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु प्रांकलन राशि रुपये 6,36,18,000/- की आमंत्रित निविदा की पुष्टि एवं अनुमान पत्रक पर दिनांक 02.11.016 को प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स एशियाटिक ट्रेडर्स, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर एक मुश्त राशि रुपये 7,29,90,000/- के कार्य की प्रशासकीय, तकनीकी, वित्तीय एवं निविदादर की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 88 दिनांक 18.11.2016

माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिन पर प्राणी संग्रहालय में प्रवेश निशुल्क करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 903/प्राणी संग्रहालय दिनांक 24.09.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 17 सितम्बर 2016 (एक दिन) को प्राणी संग्रहालय में आम दर्शकों/बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क किये जाने की पुष्टि विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 89 दिनांक 18.11.2016

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अग्रिम सम्पत्तिकर एवं जलकरदाताओं को पुरस्कार/सामग्री वितरण करने के संबंध में उपायुक्त (राजस्व) का पत्र क्रमांक 2051 दिनांक 02.08.2016 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में वर्ष 2016-17 के बजट में प्रदत्त स्वीकृति अनुसार सम्पत्तिकर/जलकर की राशि अधिक से अधिक जमा हो सके, इस हेतु सम्पत्तिकर/जलकरदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष 2016-17 में भी अग्रिम करदाताओं को पुरस्कार देने की स्वीकृति निम्नानुसार दी जाती है:-

अग्रिम सम्पत्तिकरदाताओं के लिए पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार	01 कार (अल्टो)
द्वितीय पुरस्कार	05 नग होण्डा एक्टिवा स्कूटर
तृतीय पुरस्कार	05 नग एल.ई.डी. टी.वी.
सांत्वना पुरस्कार	95 नग मिक्सर मशीन (प्रत्येक झोन पर 05)

अग्रिम जलकरदाताओं के लिए पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार	01 (एक) होण्डा एक्टिवा स्कूटर
द्वितीय पुरस्कार	04 नग एल.ई.डी. टी.वी.
तृतीय पुरस्कार	04 नग वाशिंग मशीन
सांत्वना पुरस्कार	57 नग मिक्सर मशीन (प्रत्येक झोन पर 3 नग)

पुरस्कार हेतु अग्रिम करदाताओं का चयन लकी झा द्वारा किया जावें तथा पुरस्कार वितरण एवं पुरस्कार सामग्री क्रय करने हेतु नियमानुसार सभी औपचारिकताएं एवं प्रक्रिया पूर्ण की जावें।

इस बाबत नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 91 दिनांक 18-11-2016

वित्तीय वर्ष 2016-17 पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 17.11.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में बजट मद 2305109 "प्राणी संग्रहालय के रख रखाव पर व्यय" में प्रावधानित राशि रूपये 45 लाख में से राशि रूपये 4,50,000/- लाख कम कर बजट मद 2305138 "ट्रेनिंग एण्ड एज्युकेशन आफ जू स्टॉफ पर व्यय" में राशि रूपये 4,50,000/- लाख का पुनर्विनियोग कर राशि अन्तरित करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 92 दिनांक 18-11-2016

इन्दौर शहर में अग्नि दुर्घटना होने पर पानी की व्यवस्था हेतु 8 स्थानों पर फायर हाईड्रेन्ट स्थापित किये जाने एवं जल संयोजन देने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. 9592 दि. 01.10.16 पर प्रभारी जलकार्य की राय 13 दि. 14.10.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए 8 स्थानों पर फायर हाईड्रेन्ट स्थापित किये जाने की विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। स्थापित फायर हाईड्रेन्ट पर पानी बोरिंग के माध्यम से दिया जावे। अग्नि दुर्घटना के अतिरिक्त हाईड्रेन्ट का उपयोग निगम द्वारा किया जावे। हाईड्रेन्ट स्थापित किये जाने के संबंध में महापौर, जलकार्य प्रभारी एवं आयुक्त की समिति का गठन कर समिति को अधिकृत किया जाता है।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 93 दिनांक 18-11-2016

इन्दौर शहर में 15 विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं 30 वर्षों तक संचालन/संधारण कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2206 दिनांक 03.10.2016 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज की राय क्रमांक 10 दिनांक 04.10.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 2,50,45,500/- पर दिनांक 5.9.16 को प्राप्त 04 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता फर्म/मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन भोपाल द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 14.95 प्रतिशत अधिक सहित कुल राशि रुपये 2,87,89,802/-के कार्य की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद " स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत केन्द्र शासन/राज्य शासन एवं निगम निधि" में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 94 दिनांक 18-11-2016

एम.आर.10 से एम आर 11 को जोडने वाले 30 मीटर मार्ग का नामकरण स्व. श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल के नाम से रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र 341 दि. 26.08.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में एम.आर.10 से एम आर 11 को जोडने वाले 30 मीटर मार्ग का नामकरण स्व. श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल के नाम से करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से की जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 95 दिनांक 18-11-2016

स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत निर्माण किये जा रहे सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय हेतु बजट मद क्र. 4102020 सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय बनाने पर व्यय (सुलभ) में पुनर्विनियोग कराने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2527 दिनांक 02.11.2016 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज की राय क्रमांक 14 दिनांक 03.11.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में प्रकरण में बजट मद 4103117 "शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना पर व्यय" में प्रावधानित राशि रूपये 4000.00 लाख में से राशि रूपये 1500.00 लाख कम कर बजट मद 4102020 "सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय बनाने पर व्यय" में राशि रूपये 1500.00 लाख का पुनर्विनियोग कर राशि अन्तरित करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 96 दिनांक 18-11-2016

शहर के 19 झोन के अन्तर्गत 85 वार्डों के व्यवसायिक क्षेत्रों को अधिसूचित किये जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2119 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत निम्नांकित व्यवसायिक क्षेत्रों को (कॉलम 4 में उल्लेखित) अधिसूचित करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

>ku dekd	>ku dk uke	okM dekd	0; o l kf; d l LFkku {k= dk uke
1	2	3	4
1	डॉ. हेडगेवार (किला मैदान) झोन	4	एयरपोर्ट रोड पटेल नगर से अंकित होटल चौराहा एवं सुखदेव नगर चौराहे तक, सुखदेव नगर मेनरोड
			60 फीट रोड सुखदेव नगर से रतनबाग कॉलोनी तक
		7	सुभाष मार्ग जिन्सी चौराहा से जूना रिसाला पुलिस चौकी तक
		8	मल्हारगंज टोरी कार्नर से गोरकुंड खजूरी बाजार सम्पूर्ण गोरकुंड चौराहा से अहिल्यापुरा
		9	वृंदावन चौराहा मेनरोड से कमला नेहरू कालोनी तक
		16	छोटा बांगडवा मेनरोड एक पट्टी
2	लालबहादुर शास्त्री (राजमोहल्ला) झोन	6	धान मंडी कैलाष मार्ग एमजी रोड बडा गणपति से बांठिया हास्पिटल मल्हारगंज गली नं. 1
		67	—
		68	बाम्बे बाजार उदापुरा मच्छी बाजार मालगंज चौराहा से पीपली बाजार
		69	सांठा बाजार बजाजखाना चौक उदापुरा मारोटिया बाजार बोहरा बाजार नलिया बाखल नवीन चित्रा क्लाथ मार्केट सम्पूर्ण शक्कर बाजार (जैन मंदिर तरफ) शक्कर बाजार (सीतलामाता तरफ) नरसिंग बाजार से सीतलामाता मंदिर तक (गोरकुंड) बर्तन बाजार पीपली बाजार बडा सराफा छोटा सराफा धानगली मोरसली
		70	जीएनटी मार्ग गंगवाल बस स्टेण्ड धार रोड जिला अस्पताल
3	शहीद भगतसिंह (नगर निगम) झोन	56	मालवा मिल चौराहे से विश्रान्ति चौराहे तक नयापुरा मेनरोड नयापुरा से जेलरोड तक भंडारी मिल ब्रिज के नीचे से स्नेहलतागंज चौराहे तक
		57	एमजी रोड किषनपुरा (राजवाडा) से गांधी हाल तक जेलरोड एमजी रोड से नूतन स्कूल डीआरपी लाइन के चौराहे तक जेलरोड गली नं. 1, 2, 3 एवं सुतार गली शिवाजी मार्केट एमजी रोड थाने से शांति पथ मछली बाजार तक तिलकपथ किषनपुरा से रामबाग तक इमली बाजार रोड राजवाडा से इमली बाजार चौराहे तक एमटीएच कम्पाउंड शास्त्री ब्रिज से कोठारी मार्केट तक लोधी मोहल्ला एवं न्यू सियागंज इमली बाजार चौराहे से चिमनबाग तक सुभाष मार्ग
		58	इमली बाजार चौराहे से सदर बाजार थाने तक सुभाष मार्ग चंदन गुरु व्यायामशाला से इमली बाजार चौराहे तक बड़वाली चौकी एवं सुभाष चौक एरिया खजूरी बाजार यषोदा माता मंदिर से विजय चाट हाउस तक
4	महाराणा प्रताप (संगम नगर) झोन	10	मरीमाता चौराहे से बाणगंगा तक
		11	—
		12	कुशवाह नगर चौराहे से टिगरिया बादषाह रोड

		13	—
		17	राजाबाग चौराहे से कुषवाह नगर चौराहे तक
5	चन्द्रगुप्त मौर्य (सुखलिया) झोन	21	न्यू हीरा नगर एमआर 10 चौराहे से भांगड रोड
			चन्द्रगुप्त मौर्य एमआर 10 सर्विस रोड से लोधी धर्मपाला एमआर 10 तक
			एमआर 10 सर्विस रोड बाबा मोटर्स से भेरुबाबा मंदिर तक
			एमआर 9 मेनरोड से मंगल नगर तक
			श्याम नगर मेनरोड राधिका सोसायटी से संस्कार क्लिनिक ए-231 वीणा नगर मेन राजश्री आटा चक्की तक
			अभिनन्द्रा नगर मेनरोड से मातेष्वरी डेरी तक
		22	बापट चौराहे से मारुति नगर चौराहे तक दोनों तरफ
			एमआर 9 मेनरोड पर पुरानी के सामने से चन्द्रगुप्त चौराहे तक दोनों तरफ
			मारुति नगर चौराहे से पुलिस चौकी तक हीरानगर थाना दोनों तरफ
			ए सेक्टर मेनरोड से टावर चौराहे तक दोनों तरफ
			हीरा नगर थाने के आसपास सम्पूर्ण चौराहा दोनों तरफ
		28	अनूप टाकीज से भमोरी प्लाजा तक भमोरी मेनरोड
			हनुमान मंदिर से भमोरी प्लाजा तक भमोरी मेन
			भमोरी प्लाजा से नईदुनिया प्रेस मेनरोड
भमोरी प्लाजा से गेक्सी मेनरोड			
शमषान चौराहे से गेक्सी पार्क प्लाजा			
मेघदूत गार्डन सर्विस रोड चाट चौपाटी			
शारदा मठ चाट चौपाटी			
सयाजी होटल फार्चुन लेण्डमार्क			
xkMu& गिरधर महल मेनरोड पर			
/ke'kkyk& रामनगर, बडी भमोरी, बलाई समाज, नवनाथ कोल धर्मपाला राम नगर, खाती समाज धर्मपाला बडी भमोरी, बलाई समाज धर्मपाला बडी भमोरी			
33	सीएम-2 मेनरोड सुखलिया		
	सीएम सेक्टर मेनरोड सुखलिया		
	कबीटखेडी मेनरोड		
6	सुभाषचन्द्र बोस (सुभाष नगर) झोन	24	अटल द्वार से पाटनीपुरा चौराहा
			अटल द्वार से बैरवा समाज धर्मपाला
			पाटनीपुरा चौराहा से मालवा मिल पुल तक
		25	पाटनीपुरा चौराहे से नंदानगर मेनरोड होते हुए तीन पुलिया चौराहे तक
26	सर्वहारा नगर रोड नं. 6 से सुभाष नगर चौराहा तक		
27	पाटनीपुरा चौराहे से अनूप टाकी चौराहा तक		
7	अटलबिहारी वाजपेयी (स्कीम नं. 54) झोन	29	सत्यसाई चौराहे से शर्मा स्वीटस बीआरटीएस, स्कीम नं. 54 मेनरोड एमआर 10 चौराहे से पंचायत तक, स्कीम नं. 54 झोन के सामने मेनरोड केनरा बैंक से राजश्री अपोलो हास्पिटल तक
			gkVy& गोल्डन गेट होटल स्कीम नं. 54, उदय पैलेस होटल एमआर 10 मेनरोड, होटल पार्क एमआर 10 मेनरोड, डायमंड होटल एमआर 10 मेनरोड, अषोक होटल एमआर 10 मेनरोड, होटल अतिथि निवास एमआर 10 मेनरोड, होटल गेलेक्सी पार्क एमआर 10 मेनरोड,
			ef ! xkMu "o l#kxg- ला ओमनी गार्डन एमआर 10 सयाजी होटल के साइड में, गिरधर महल गार्डन आरआर टायर वाला रोड, कस्तूरी सभागुह स्कीम नं. 54, आनंद मोहन माथुर सभागुह एमआर 10 न्याय नगर पुलिया,
			gkL%Vy - भंडारी हास्पिटल एमआर 10, ज्योति हास्पिटल एमआर 10, सिनर्जी हास्पिटल स्कीम नं. 54, राजश्री अपोलो स्कीम नं. 54, आषीष नर्सिंग होम ए.एफ स्कीम नं. 54, मदर केयर नर्सिंग होम डीएच स्कीम नं 54, रिलायंस फ्रेष एमआर 10 स्कीम नं. 54, रसोमा लेबोरेटरीज बीआरटीएस रसोमा चौराहा
			31
		gkVy& गुरुकृपा होटल बाम्बे हास्पिटल चौराहा से सत्यसाई मेनरोड, होटल इन्फिनिटी गुरुकृपा होटल बाम्बे हास्पिटल चौराहा से सत्यसाई मेनरोड, होटल प्रेम शांति गुरुकृपा होटल बाम्बे हास्पिटल चौराहा से सत्यसाई मेनरोड, मंगल रिजेपी होटल गुरुकृपा होटल बाम्बे हास्पिटल चौराहा से सत्यसाई मेनरोड, होटल पेराडाइस गुरुकृपा होटल बाम्बे हास्पिटल चौराहा से सत्यसाई मेनरोड, होटल एफ होटल रिंगरोड सर्विस रोड रेडिसन होटल के पास, रेडिसन होटल रिंगरोड सर्विस रोड, सोमदीप होटल रिंगरोड सर्विस रोड, कन्ट्री इन होटल स्कीम नं. 54, एलाइन्ट होटल स्कीम नं. 54, मूड ओवन होटल स्कीम नं. 54, होटल श्री इन स्कीम नं. 54, होटल मंगल रीजेन्सी मंगल सिटी माल, लार्डस इन होटल रिंगरोड गुलाब बाग,	
		ek&y- मंगलसिटी माल बीआरटीएस विजय नगर चौराहा, आर्बिट माल बीआरटीएस विजय नगर चौराहा, सी21 माल बीआरटीएस विजय नगर चौराहा, मल्हार मेगा माल बीआरटीएस विजय नगर चौराहा,	
		xkMu- सजनप्रभा गार्डन विजय नगर चौराहा बीआरटीएस, ओमनी रेसीडेन्सी गार्डन रिंगरोड बाम्बे हास्पिटल चौराहा, ओमनी गार्डन रिंगरोड बाम्बे हास्पिटल चौराहा, कान्हा गार्डन रिंगरोड बाम्बे हास्पिटल चौराहा, श्री गार्डन सत्यसाई चौराहा।	
		gkL%Vy & बाम्बे हास्पिटल रिंग रोड, मेदान्ता हास्पिटल रसोमा चौराहा, टोटल हास्पिटल बसंत विहार, यूनिवर्सल हास्पिटल गुलाब बाग, रिलायंस फ्रेष सत्यसाई मेनरोड बीएमसी हाइट,	

		32	स्कीम नं. 78 नं. 3 पानी की टंकी के सामने xkMu- नक्षत्र गार्डन एमआर 11 चौराहा स्कीम नं. 78 पार्ट-2, gkL%Vy & आषादीप केयर ट्रस्ट स्कीम नं. 78, लाइफ केयर हास्पिटल स्कीम नं. 78, gkVy - वृंदावन होटल स्कीम नं. 78 पार्ट-2,
		34	gkVy& होटल सुन्दर वन बीआरटीएस देवास नाका
8	चन्द्रशेखर आजाद (विजय नगर) झोन	30	gkVy& अमर विलास होटल बीआरटीएस, श्रीमाया रेसीडेन्सी बीआरटीएस
		35	gkVy& होटल मधुवन देवास नाका एबी रोड सीकेडी ढाबा, डाइनर्स पार्क होटल एबी रोड रूचि सोया के सामने,
		36	xkMu "o gkVy& नम्रता गार्डन कुम्हार पिपलिया गांव, टीजीबी गार्डन एंड होटल बायपास (ओमेक्स सिटी के पास,), वाटर लिलि गार्डन एवं होटल बायपास पब्लिक स्कूल, सूर्या विलास गार्डन बायपास एमआर 11, रायल आर्थिक गार्डन बायपास, संगम प्राइड गार्डन बायपास, जलसा गार्डन झलारिया गांव मेनरोड, अग्रसेन गार्डन बायपास रोड, कान्हा सरकार गार्डन बायपास रोड, स्टोन मिडवल गार्डन बायपास रोड, गार्डन अम्बर बायपास रोड, ek& मेट्रो माल रिंगरोड निपानिया, बेस्ट प्राइज बायपास, डेक्थलान माल बायपास मायाखेडी
		37	बाम्बे हास्पिटल चौराहा सर्विस रोड, एमआर 9 सब्जी मंडी वाला रोड xkMu& यष गार्डन महालक्ष्मी नगर मेन गेट, रंगुन गार्डन साईकृपा कालोनी, ek& वेलोसिटी टाकीज रिंगरोड gkL%Vy& चिप्स हास्पिटल महालक्ष्मी नगर आर सेक्टर gkVy& होटल गेलेक्सी बाम्बे हास्पिटल चौराहा
9	डॉ. भीमराव अम्बेडकर (पंचम की फेल) झोन	44	पाटनीपुरा चौराहे से किष्चयन एमिनेंट तक
		45	शापिंग काम्प्लेक्स ए.बी. रोड किश्चयन एमिनेंट स्कूल से गुरुद्वारा दोनों तरफ
		46	मुमताज सेठ की दुकान से मालवा मिल पुल तक दोनों तरफ पंचम फेल मेनरोड नगर निगम मार्केट
		47	मालवा मिल चौराहे से राजकुमार ब्रिज दरगाह दोनों तरफ छप्पन दुकान छप्पन दुकान के सामने वाले मार्केट डायमंड कालोनी
10	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी (साकेत नगर) झोन	38	गोया रोड मामू किराना स्टोर्स, डॉ. इन्दुमल हास्पिटल तक मस्जिद वाला रोड सब्जी मार्केट तलई से स्टार चौराहे तक मेनरोड, गोतिया मस्जिद से दरगाह गेट तक
		39	कालका माता मंदिर से जमजम चौराहा तक, जमजम चौराहे से मस्जिद दरगाह तक, जमजम चौराहे से वार्ड 39 पार्श्वदजी के मकान तक सम्राट चौराहा राकुट स्कूल रोड
		40	खजराना रिंगरोड चौराहा से पिपल चौक होते हुए गणेश मंदिर रेन बसेरा चौराहा होते हुए सर्विस रोड चौराहा तक व तालाब वाला रोड पर मटन मार्केट की 4 दुकानें व एमआर 09 सब्जी मंडी व एमआर 09 आषा नगर चौराहा तक व महक वाटिका एमआर 09 से यादव शोरूम धीरज नगर व यादव शोरूम से अग्रवाल शोरूम धीरज नगर व अग्रवाल शोरूम से आषा नगर चौराहा एमआर 09 तक
		42	पत्रकार कालोनी चौराहा मस्जिद से मेनरोड कनाडिया रोड बंगाली चौराहे तक दुकानें शोरूम एवं छोटे मॉल व आफिसें, बंगाली चौराहे से मेन रिंगरोड खजराना चौराहे तक दुकानें आफिस एवं मार्बल की दुकानें व टेलीफोन नगर मेनरोड दुकानें व आफिसें, पत्रकार कालोनी चौराहे से साकेत मेनरोड अंदर की रोड गुलमोहर कालोनी तक दुकानें व आफिस
		43	पलासिया चौराहा थाने से साकेत नगर चौराहे तक होटल, हास्पिटल, शॉप, दुकानें आफिस, साकेत चौराहे से आनंद बाजार होते हुए खजराना रिंगरोड चौराहे तक होटल, रेस्टारेन्ट, दुकानें आफिसेस शोरूम, आनंद बाजार से श्रीनगर मेन से छोटी खजरानी तक व आनंद बाजार से बीमा नगर तक दुकानें व बड़वानी प्लाजा से गायत्री मंदिर चौराहे तक व पत्रकार कालोनी के आसपास दुकानें व आफिस व बीआरटीएस मेन ए.बी. रोड, पलासिया थाने से एलआईजी चौराहा तक हास्पिटल, आफिसें, शोरूम, होटल
11	राजमाता सिंधिया (स्टेडियम) झोन	48	पलासिया से सुयष हास्पिटल एबी रोड, मनोरमा गंज, नवरतन बाग मेनरोड, गीता भवन मेनरोड
		49	तिलक नगर मेनरोड, संविद नगर सब्जी मंडी,
		54	शिवाजी प्रतिमा चौराहा से जीपीओ चौराहा, मूसाखेडी चौराहा रिंगरोड
		55	मधुमिलन चौराहा, एमवाय रोड, आरएनटी मार्ग, गीता भवन चौराहा, रिगल चौराहा
		60	रानीपुरा मेनरोड, कोठारी मार्केट, छागालाल मार्ग महारानी रोड, सियागंज मेनरोड, जवाहर मार्ग प्रेमसुख से पटेल ब्रिज
12	हरसिद्धि झोन	59	राजवाडा ओ सर्कल, पीवाय रोड, नंदलालपुरा सब्जी मंडी, गोपाल मंदिर से राजवाडा, खजूरी बाजार चौराहे से कृष्णपुरा पुल, कृष्णपुरा पुल से छत्री नंदलालपुरा, राजवाडा, एमजी रोड पोस्ट आफिस मेनरोड, जवाहर मार्ग, रामलक्ष्मण बाजार तक
		61	सोनकर धमषला से जैन मिठाई एक साइड, सोनकर धर्मषाला से रावजी बाजार थाना
		62	छावनी चौराहे से मुक्तिधाम एक साइड रोड, हाथीपाला चौराहा से महल कचहरी, हाथीपाला से लाल मंदिर कुमावतपुरा मेनरोड
		65	टावर चौराहा से भंवरकुआ ब्रिज, सिंधी कालोनी सम्पूर्ण

		66	सोनकर धर्मषला से जीडीसी कालेज, माणिकबाग ब्रिज के आसपास आमने-सामने
13	पं. दीनदयाल उपाध्याय (बिलावली) झोन	74	टावर चौराहा से भंवरकुआ
		77	गणेश नगर खंडवा नाका मेनरोड
		78	नालंदा परिसर
		80	राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन मेनरोड
		81	अन्नपूर्णा से चाणक्यपुरी मेनरोड
14	राजेन्द्र धारकर (हवाबंगला) झोन	79	सिलीकॉन सिटी मेनरोड, शिवसिटी मेनरोड, डी मार्ट स्कीम 97 रेती मंडी, कट चौराहा
		82	जारोलिया मार्केट सुदामा नगर डी सेक्टर, हवा बंगला मेनरोड
		84	द्वारकापुरी हरिओम मार्केट वाला एरिया, द्वारकापुरी 60 फीट रोड, परिवहन नगर मेनरोड, हवा बंगला मेनरोड सम्पूर्ण
		85	-
15	लक्ष्मणसिंह गौड़ (द्रविड नगर) झोन	2	मीना डेरी सेन्टर चन्दन नगर पेट्रोल पम्प के पास से गणेश रेस्टारेन्ट नाका वाला रोड तक मेनरोड पर
		71	पोरवाल एलजी शोरूम महूनाका से नम्रता पान भंडार रणजीत हनुमान कमल इलेक्ट्रिक रणजीत हनुमान से चारु मेडिकल स्टोर्स नरेन्द्र तिवारी मार्ग रणजीत फूल भंडार रणजीत हनुमान मंदिर से बसंत आटो गैरेज महूनाका लक्ष्मणसिंह गौड़ प्रतिमा तक श्रीजी भोजनालय एमओजी लाइन मेनरोड से स्वस्तिक मेडिकल स्टोर्स क्लायथ मार्केट हास्पिटल तक एकसीस बैंक उषा नगर अन्नपूर्णा मेनरोड से विश्वकर्मा नगर धर्मषाला तक तिवारी रेस्टारेन्ट महूनाका से श्रीराम आटा चक्की उषा नगर अन्नपूर्णा मेनरोड तक भारत सायकल स्टोर्स महूनाका से यादव पान सदन उषा नगर महावर नगर मेनरोड तक
		72	रायल इलेक्टिक दरगाह चौराहा महावर नगर से लक्की किराना स्टोर्स महावर नगर मेनरोड तक
		73	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया सेफी नगर से अषोक फलावर टावर चौराहे तक मेनरोड
		83	आर.के. हेयर कटिंग सेलून सुदामा नगर से डोमिनोज पिज्जा फूटी कोठी सेठिया चौराहा मेनरोड रिलायंस फ्रेष सेठिया चौराहे से मनी सेन्टर रणजीत हनुमान मंदिर तक मेनरोड हनुमान मंदिर सुदामा नगर अन्नपूर्णा मंदिर के सामने से चाट चौपाटी सुदामा नगर मेनरोड तक
		1	चन्दन नगर चौराहे से सिरपुर तालाब तक सिरपुर पुलिया, तेजाजी मंदिर से खेड़ापति हनुमान तक
		3	कालानी नगर मेनरोड से बीएसएफ पानी की टंकी तक कालानी नगर पुलिया से नगीन नगर पुरानी कलाली तक
		5	नाके वाले रोड से गंगा कालोनी क्षेत्र एवं दामोदर नगर क्षेत्र
14	60 फीट रोड पल्हर नगर झोन वाली रोड साइड से अम्बिकापुरी चौराहे तक छोटा बांगडदा रोड, सांवरिया नगर रोड साइड से सुविधि नगर के कोने तक		
15	मंगल पांडे द्वार से गांधी प्रतिमा तक गांधी प्रतिमा से अंदर गांधी नगर क्षेत्र		
17	महात्मा गांधी (नरवल) झोन	18	पुराना उज्जैन नाके से दीपमाला ढाबे तक सांवेर रोड
		19	सांवेर रोड उज्जैन नाके से बाणगंगा ब्रिज तक सुखलिया चौराहे से दीपमाला ढाबे तक
		20	सुखलिया ग्राम गौरी नगर से आईटीआई चौराहे तक
		23	परदेशीपुरा (कलष) चौराहे से डमरू उस्ताद चौराहा तक परदेशीपुरा चौराहा से क्लर्क कालोनी चौराहा परदेशीपुरा चौराहा से सुभाष नगर चौराहा सुभाष नगर चौराहा से कलाली चौराहा रेडिमेड काम्प्लेक्स
		51	मूसाखेड़ी चौराहा, मूसाखेड़ी मेनरोड नेमावर रोड
		52	मूसाखेड़ी मेनरोड (डेली कालेज रोड), खाती मोहल्ला मूसाखेड़ी
53	आजाद नगर गोल चौराहा, मदीना नगर मेनरोड		
63	जगन्नाथ पुल से अग्रसेन चौराहा, अग्रसेन चौराहे से सपना संगीता रोड टावर चौराहा तक, नवलखा चौराहे से अग्रसेन चौराहे तक		
64	नौलखा से नेमावर रोड, प्रकाश नगर, संवाद नगर, कौषल्यापुरी, तीन इमली चौराहा से पालदा नाके तक		
18	छत्रपति शिवाजी (कृषि विहार) झोन		

19	सरदार वल्लभभाई पटेल (स्कीम नं. 94) झोन	41	बंगाली चौराहा से माधवराव सिंधिया चौराहा, माधवराव सिंधिया चौराहा से कनाडिया मेनरोड
		50	पिपल्याहाना चौराहा से निर्मल नगर, दीपक नगर पापा बेकरी से चौहान नगर
		75	पालदा मेनरोड, हनुमान मंदिर से नेमावर रोड दक्षिण भाग
		76	बिचौली मर्दाना बायपास रोड, बिचौली मर्दाना गांव चौराहा, कनाडिया गांव

इस बाबत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 97 दिनांक 18-11-2016

इन्दौर शहर में 17 विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं 30 वर्षों तक संचालन/संधारण कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2205 दिनांक 03.10.2016 पर प्रभारी जलकार्य एवं सीवरेज की राय क्रमांक 12 दिनांक 04.10.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 3,61,42,493/- पर दिनांक 5.9.16 को प्राप्त 05 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता फर्म/मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन भोपाल द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 14.95 प्रतिशत अधिक सहित कुल राशि रुपये 4,15,45,795/-के कार्य की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद " स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत केन्द्र शासन/राज्य शासन एवं निगम निधि" में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 98 दिनांक 18-11-2016

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 में साउथ तोड़ा और उर्दू मैदान को जोड़ने वाले मार्ग पर खान नदी पर पुल निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 324 दिनांक 06.08.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1.75 करोड़ पर प्राप्त एकल निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता मेसर्स एपेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 77 प्रतिशत अधिक (एम.पी.यू.ए.डी.डी. एस.ओ.आर. 10.05.12 पर) की राशि 1,34,75,000/- सहित कुल आकार राशि रूपये 3,09,75,000/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदादर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 99 दिनांक 18-11-2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) के द्वितीय चरण में तैयार की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुमोदन एवं शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 334/योजना दिनांक 27.10.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु 14952 आवासीय इकाइयों का निर्माण लागत रुपये 1372.91 करोड़ की तैयार की गई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुमोदन एवं शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 100 दिनांक 18-11-2016

इन्दौर शहर के पूर्वी रोड़ पर स्थित खजराना चौराहे के विकास करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 399/योजना/16-17 दिनांक 22.08.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 4,00,00,000/- पर तृतीयबार प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार ठेकेदार फर्म मे. सूर्या इन्फ्रावेचर प्रा. लि. इन्दौर के द्वारा प्रस्तुत दर 0.11 प्रतिशत कम की राशि रूपये 44,000/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 3,99,56,000/- की प्रशासकीय, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 101 दिनांक 18-11-2016

नगर सीमा में उत्पन्न होने वाले मलवा (C & D Waste) के निपटान हेतु संयंत्र स्थापित करने हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 633/योजना/16-17 दि. 24.10.16 पर प्रभारी जनकार्य एवं उद्यान समिति की राय क्रमांक 36 दिनांक 03.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में चर्चा के प्रकाश में प्राप्त निविदा निरस्त की जाती है। निविदादाता मलवा (C & D Waste) निकलने के स्थान से स्वयं उठायेगा की शर्त निविदा प्रपत्र में जोड़कर पुनः निविदा आमंत्रित की जावें।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 102 दिनांक 18-11-2016

शहरी गरीबी उपशमन विभाग में कार्यरत 05 कम्प्यूटर ऑपरेटरों एवं 01 कुशल श्रमिक की नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3527 दिनांक 14.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नोटशीट पृष्ठ क्र. 03 पर आयुक्त की स्वीकृति दिनांक 22.07.16 एवं दिनांक 05.07.2016 के तारतम्य में रखे गये 05 कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा 01 कुशल श्रमिक कुल 06 दैनिक वेतन भौगियों की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि तथा कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) समयावधि समाप्त होने की दिनांक से दिनांक 31-03-2017 तक कार्य लेने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "संबंधित बजट मद" में से होगा। अस्थायी मस्टर श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय तत्कालीन समय में कार्यरत श्रमिकों के नाम व कार्यक्षेत्र का विवरण एवं प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 103 दिनांक 18-11-2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) अन्तर्गत प्रथम चरण में निरंजनपुर नई बस्ती में आवासीय इकाइयों इकाइयों के निर्माण कार्य की निविदा के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 220/योजना दिनांक 03.10.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 2,46,51,13,000/- प्राप्त 03 निविदा में योजना के कंसलटेन्ट व निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादरदाता मेसर्स कटीरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत दर 0.85 प्रतिशत कम (एम.पी.यू.ए.डी.डी. एस.ओ.आर. 10.05.12 पर) की राशि 2,09,53,460/- रहित कुल आकार राशि रुपये 2,44,41,59,504/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदादर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 104 दिनांक 18-11-2016

राजीव आवास योजना अन्तर्गत टिगरिया राव में आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य की निविदा के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 443 दिनांक 15.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सादर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 11,16,40,000/- पर प्राप्त 03 निविदा में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता मेसर्स सी.एम.एम. इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 1.91 प्रतिशत अधिक (एम.पी.यू.ए.डी.डी. एस.ओ.आर. 10.05.12 पर) की राशि 21,32,324/- सहित कुल आकार राशि रूपये 11,37,72,324/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदादर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 105 दिनांक 18-11-2016

नर्मदा जल प्रदाय योजना तृतीय चरण के अन्तर्गत हेडवर्क्स का संचालन संधारण कार्य के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3789 दिनांक 01.11.016 पर प्रभारी, जलकार्य विभाग की राय क्र. 15 दिनांक 16.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 4,99,00,000/- की तकनीकी, प्रशासकीय व लम्प सम निविदा आमंत्रण की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि एवं अनुमान पत्रक पर दिनांक 29.09.016 को प्राप्त दो निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार मेसर्स चीमाटेक प्रोजेक्ट प्रा. लि. पुणे द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर राशि रुपये 5,12,19,989/- एक वर्ष के संधारण कार्य की वित्तीय स्वीकृति निविदा की शर्तों के साथ विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, ।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 106 दिनांक 18-11-2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) अन्तर्गत प्रथम चरण में बडा बांगडदा, नया बसेरा में आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य की निविदा के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 221/योजना दिनांक 03.10.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सादर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,55,10,22,000/- प्राप्त 03 निविदा में योजना कंसलटेन्ट व निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता मेसर्स एम.वी. ओमनी प्रोजेक्ट (I) लिमिटेड, वडोदरा द्वारा प्रस्तुत दर 1.53 प्रतिशत कम (एम.पी.यू.ए.डी.डी. एस.ओ.आर. 10.05.12 पर) की राशि 2,37,30,637/- रहित कुल आकार राशि रूपये 1,52,72,91,363/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदादर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 107 दिनांक 18-11-2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास 2022) अन्तर्गत प्रथम चरण में भूरी टेकरी आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य की निविदा के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 219 दिनांक 03.10.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 96,45,36,000/- प्राप्त 03 निविदा में योजना कन्सलटेन्ट व निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार निविदादरदाता मेसर्स एम.वी. ओमनी प्रोजेक्ट (I) लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत दर 0.54 प्रतिशत कम (एम.पी.यू.ए.डी.डी. एस.ओ.आर. 10.05.12 पर) की राशि 52,08,494/- रहित कुल आकार राशि रूपये 95,94,27,506/- के कार्य की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदादर की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 108 दिनांक 18-11-2016

मान्नीय न्यायालयों में प्रचलित निगम प्रकरणों में अभिभाषक नियुक्त करने एवं फीस भुगतान के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2899 दिनांक 15.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मान्नीय न्यायालयों में प्रचलित निगम प्रकरणों में अभिभाषक नियुक्त करने एवं फीस भुगतान का निर्धारण करने के लिए निम्नानुसार समिति गठन करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है:-

- 1- श्री शंकर यादव, प्रभारी, जनकार्य एवं उद्यान विभाग
- 2- श्री संतोषसिंह गौर, प्रभारी, वित्त एवं लेखा विभाग
- 3- श्री अश्विनी शुक्ल, प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 109 दिनांक 18-11-2016

ठेकेदारी कार्य के लायसेंस की श्रेणी एवं शुल्क एक ही कर जारी करने के संबंध में आयुक्त का क्रमांक 470 दिनांक 16.11.016 पर विचार किया गया। म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-17-1/19/बी/2010 दिनांक 17.8.16 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शासन आदेश एवं वर्तमान में केन्द्रीयकृत व्यवस्था में किये गए संशोधन एवं नवीन व्यवस्था अनुसार नगर पालिक निगम, इन्दौर में जारी किए जा रहे ठेकेदारी कार्य के व्यवसायिक लायसेंस में चारों श्रेणियों को समाप्त कर केवल एक ही श्रेणी के अन्तर्गत लायसेंस शुल्क राशि रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये मात्र) में व्यवसायिक लायसेंस जारी किए जाने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 110 दिनांक 18-11-2016

उद्यान विभाग के अंतर्गत महुनाका स्वीमिंगपूल फिल्टर प्लांट रिसायकल मोटर पंप नया लाकर लगाने, शहर के उद्यानों डिवाइडरो, मुख्य मार्गों ग्रीन बेल्टों चौराहों रोड ससाईड आदि स्थानों में घास कटिंग हेतु घास कटिंग मशीन क्रय करने एवं विभिन्न प्रजाति की घास क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रण की पुष्टि आयुक्त का पत्र क्र. 591 दि.16.11.16 पर प्रभारी, जनकार्य तथा उद्यान की राय दि. 17.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु दिनांक 30.09.2016 को आमंत्रित की गई अल्प निविदा की विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से पुष्टि की जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 111 दिनांक 18-11-2016

ग्लोबलन इन्वेस्टर समिट 2016 के आयोजन हेतु एयरपोर्ट से सुपर कारिडोर (जंक्शन) तक ग्रीन बेल्ट एवं सेन्ट्रल वर्ज का सौन्दर्यीकरण हेतु अल्प निविदा आमंत्रण की पुष्टि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 415 दिनांक 07.10.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में ग्लोबलन इन्वेस्टर समिट 2016 के आयोजन हेतु एयरपोर्ट से सुपर कारिडोर (जंक्शन) तक ग्रीन बेल्ट एवं सेन्ट्रल वर्ज का सौन्दर्यीकरण हेतु आमंत्रित अल्प निविदा की पुष्टि/स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानकस्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 112 दिनांक 18-11-2016

बदल का भट्टा पुल के निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 321 दिनांक 05.08.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 2,34,70,000/- की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 113 दिनांक 18-11-2016

स्ट्रीट लाईट प्रकाश व्यवस्था के संचालन एवं संधारण संबंधी कार्य के अन्तर्गत फिल्ड कार्य हेतु विद्युत निरीक्षकों की आवश्यकता के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 5813 दिनांक 28.09.2016 पर प्रभारी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्रमांक 397 दिनांक 18.10.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में स्ट्रीट लाईट के संचालन संधारण एवं विद्युत व्यवस्था के कार्यों हेतु फिल्ड सुपरविजन कार्य हेतु नवीव 30 योग्य मस्टर श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) समयावधि दिनांक 01-12-2016 से दिनांक 31-03-2017 तक कार्य लेने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "संबंधित बजट मद" में से होगा। अस्थायी मस्टर श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय तत्कालीन समय में कार्यरत श्रमिकों के नाम व कार्यक्षेत्र का विवरण एवं प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 114 दिनांक 18-11-2016

अन्नपूर्णा रोड स्थित दशहरा मैदान में प्रवेश द्वारों का निर्माण एवं स्टोन क्लेडिंग पेनलिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 06 दिनांक 18.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 4,88,04,000/- की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति तथा वास्तुविद सेवायें नितिन श्रीमाली एण्ड एसोसिएट्स से किये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "दशहरा मैदान की बाउण्ड्रीवाल/अन्य पूर्ण विकास पर व्यय" बजट मद से होगा।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 115 दिनांक 18-11-2016

झोन क्रमांक 18 वार्ड 51 मुसाखेडी (ज्योतिबा फुले प्रतिमा) रिंगरोड से तीन ईमली तक दोनों तरफ की सर्विस रोड निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 04 दिनांक 17.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 2,60,57,000/- की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 116 दिनांक 18-11-2016

महू नाका फूटी कोठी रोड़, इन्दौर स्थित उद्यानिकी विभाग की विश्राम बाग की भूमि के उद्यान के विकास हेतु नगर पालिक निगम, इन्दौर को हस्तांतरण किये जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 05/सीई/बिल्स दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में महू नाका फूटी कोठी रोड़, इन्दौर स्थित उद्यानिकी विभाग की विश्राम बाग की भूमि के उद्यान के विकास हेतु नगर पालिक निगम, इन्दौर को हस्तांतरण किये जाने हेतु निम्नानुसार स्वीकृतियां विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

- 1- विश्रामबाग की भूमि के नगर पालिक निगम, इन्दौर को हस्तांतरित किये जाने विषयक कृत कार्यवाही की स्वीकृति/पुष्टि।
- 2- विश्रामबाग उद्यान के यहां विद्यमान पुरानी वानस्पतिक प्रजातियों तथा यहां की मूलभूत अधोसंरचना को यथावत रखते हुए सुनियोजित आधुनिक उद्यान, सघन हरित क्षेत्र खेल का मैदान एवं मनोरंजन स्थल के रूप में विकास कार्य हेतु योजना तैयार करवाये जाने की सक्षम स्वीकृति।
- 3- वास्तुविदीय फर्म मेसर्स भिडे एण्ड एसोसिएट्स, सुदामा नगर, इन्दौर की नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति।
- 4- शासकीय उद्यान फलबाग में विश्राम बाग की अधोसंरचनाओं के पुनर्निर्माण हेतु राशि रूपये 2.27 करोड़ के व्यय की तकनीकी, प्रशासकीय वित्तीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति।
- 5- विश्रामबाग उद्यान पर नियुक्त उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों के नगर पालिक निगम, इन्दौर में समायोजन की कार्योत्तर स्वीकृति।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 117 दिनांक 18-11-2016

इन्दौर नगर निगम द्वारा अन्य संस्थाओं की भांती वाल्मिकी समाज के धार्मिक संस्कृति उत्सव के लिये यूनियनों को उत्सव मनाने के लिये अनुदान देने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 18.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2016 कार्यक्रम जैसे वीर गोगादेव समारोह एवं महर्षि वाल्मिकी उत्सव समारोह तथा श्री संत सिरोमणी नवल स्वामी जयन्ती के समारोह हेतु राशि रूपये 2-2 लाख का अनुदान (प्रत्येक संस्था को रूपये दो लाख) निम्नांकित पंजीकृत संस्थाओं को देने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से दी जाती है। नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

- (1) इन्दौर नगर अनुसूचित जाति एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ, इन्दौर
- (2) म.प्र. सफाई कर्मचारी महासंघ नगर निगम, इन्दौर
- (3) राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा, इन्दौर
- (4) सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन, इन्दौर
- (5) निगम कर्मचारी कामगार संघ , इन्दौर
- (6) वाल्मिकी संघ, इन्दौर

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 118 दिनांक 18-11-2016

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत IEC कार्य हेतु PR एजेन्सी एवं Twin litter bin क्रय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 05 दिनांक 3.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु सात दिवसीय अल्प निविदा आमंत्रित करने की विभागीय प्रस्ताव अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 119 दिनांक 18.11.2016

स्वास्थ्य विभाग कार्याथ घर-घर से कचरा परिवहन कार्य हेतु 34 वार्डों के लिये 3.3 क्यू. मी. के 102 नग छोटे चार पहिया वाहन (Garbage Tipper) क्रय की करने स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 02 दि. 02.08.16 पर प्रभारी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्रमांक 350 दिनांक 05.08.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में 3.3 क्यू. मी. के 102 नग छोटे चार पहिया वाहन (Garbage Tipper) क्रय करने हेतु कुल अनुमानित राशि रुपये 6,63,00,000/- की विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, वित्तीय एवं ऑनलाईन ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया से निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 120 दिनांक 18.11.2016

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य की मॉनिटरिंग एवं जन जागरुकता के कार्य हेतु 85 वार्डों में निजी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों को कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 05 दिनांक 29.09.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु दिनांक 08.08.2016 को ऑनलाईन प्राप्त 10 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदादर राशि रूपये 11/- प्रतिघर दर पर 85 वार्डों में कार्य कराने की कार्योत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति दी जाती है। उक्त स्वीकृत दर पर पात्र निविदादाताओं से सहमति प्राप्त कर कार्य कराया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 121 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 01 टाटा 407 वाहनों के स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 10 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क. 405 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-328 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-80 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-248 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 122 दिनांक 18-11-2016

स्वास्थ्य विभाग कर्यार्थ मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन हेतु Supply Erection and Commissioning of Transfer Station Equipments Containcre and Hook Loader with Vehieles क्रय की प्राप्त न्यूनतम दर की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 09 दिनांक 03.10.16 पर प्रभारी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्रमांक 401 दिनांक 10.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु प्राप्त 03 निविदाओं में न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स टी.पी.एस. इन्फ्राट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर राशि रूपये 2,60,15,107/- की कार्योत्तर स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 123 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 02 टाटा 709 वाहनों के स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 11 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क. 406 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-385 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-124 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-258 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 124 दिनांक 18.11.2016

हल्के चार पहिया वाहन एवं भारी छः पहिया वाहनों की वार्षिक न्यूनतम निविदा दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 15 दिनांक 30.11.15 पर प्रभारी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्रमांक 166 दिनांक 11.12.15 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2015-16 के लिए रिमूव्हल विभाग/आवारा पशु/अतिक्रमण दल एवं अन्य निगम कार्यार्थ वर्कशॉप विभाग द्वारा पूर्णकालिक/समय समय/आकस्मिकता पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक दर निर्धारण के लिये आमंत्रित निविदा में निविदा समिति की अनुशंसानुसार निम्नानुसार न्यूनतम निविदादरदाता (कॉलम-2 में) की न्यूनतम दर (कॉलम-4 में) स्वीकृत की जाती है :-

क्र.	फर्मो/ठेकेदार का नाम	मशीन प्रकार	प्राप्त न्यूनतम दर
1	2	3	4
1	मे. तिरुपति रोड लाईन्स	टाटा एल.पी.टी. 1612/आयशर/समकक्ष	4000/- प्रतिदिन या 80 किलोमीटर
2	मे. अमर कन्ट्रक्शन	हल्के चार पहिया टाटा 407/709/आयशर/समकक्ष	2500/- प्रतिदिन या 80 किलोमीटर

3. सदर कार्य हेतु आकस्मिकता के दृष्टिगत आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त कर कराये गये कार्य की पुष्टि की जाती है।

इस बाबत समस्त अग्रिम नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 125 दिनांक 18-11-2016

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सड़कों की मशीनों द्वारा सफाई के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 04 दिनांक 3.11.16 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9 करोड के कार्य की निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध प्रारूप अनुसार ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया से निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 126 दिनांक 18-11-2016

ग्रुप क. 08 जे.बी.सी. स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 17 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क. 414 दि. 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्थी स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-667 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-174 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-404 (अनुलग्न सूची अनुसार) व मे. भोपाल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-88 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 127 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 07 आयशर के स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 16 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क. 407 दि.17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-365 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-148 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-151(अनुलग्न सूची अनुसार) व मे. व्ही. ई. कमर्शियल, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत आयटम संख्या-60 (संलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 128 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 06 जीप के स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 15 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्र. 409 दि. 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-256 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-185 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-61 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 129 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 05 लिलेन्ड कारगों स्पेयर पार्टस् क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 14 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क. 408 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्टस् कुल आयटम संख्या-356 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-92 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-260 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 130 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 04 लिलेन्ड बायसन के स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 13 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क. 412 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-424 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-99 (अलुनग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-321 (अलुनग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 131 दिनांक 18-11-2016

स्वास्थ्य विभाग कार्यार्थ घर-घर से कचरा परिवहन कार्य हेतु 23 वार्डों के लिये 70 नग छोटे चार पहिया वाहन क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 06 दिनांक 30/10/2016 पर प्रभारी विद्युत यांत्रिकी विभाग की राय क्रमांक 402 दिनांक 10.11.2016 पर प्रभारी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय दिनांक 17.11.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमानित राशि रुपये 4 करोड़ 41 लाख की प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 132 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 11 गुप किलोस्कर मेक वाटर पम्प इंजन स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 20 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क. 410 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-322 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-240 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-81 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 133 दिनांक 18-11-2016

ग्रुप क्र. 10 फेब्रिकेशन आईल पेन्ट आदि सामान के स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 19 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्र. 411 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्थी स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-275 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-186 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-78 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 134 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 09 आटो इलेक्ट्रिक के स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 18 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्र. 415 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-328 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-82 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-294 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 135 दिनांक 18-11-2016

गुप क. 03 टाटा 1210 वाहनों के स्पेयर पार्ट्स क्रय की वार्षिक दरें स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 12 दिनांक 05.11.016 पर प्रभारी, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्र. 413 दिनांक 17.11.016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर वार्षिक संधारण कार्यार्था स्पेयर पार्ट्स कुल आयटम संख्या-608 क्रय करने हेतु ई-टेन्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मे. के. के. इन्टरप्राइजेस, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर कुल आयटम संख्या-148 (अनुलग्न सूची अनुसार) एवं निविदा दरदाता मे. टायर एण्ड स्पेयर पार्ट्स द्वारा प्रस्तुत दर कुल आयटम संख्या-459 (अनुलग्न सूची अनुसार) न्यूनतम वार्षिक दरों का निर्धारण करने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। न्यूनतम निविदा दरदाता द्वारा कार्य करने/सामग्री प्रदाय करने में असमर्थता की स्थिति में अन्य प्रतिस्पर्धी से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य कराया जावे।

3. क्रय की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 136 दिनांक 18-11-2016

स्वास्थ्य विभाग कार्यार्थ घर-घर से कचरा परिवहन कार्य हेतु 34 वार्डों के लिये 102 नग छोटे चार पहिया वाहन 3.3 क्यू.मी. (टाटा सूपर एस मिन्ट गार्बेज टीपर) क्रय की प्राप्त न्यूनतम दर की कार्योत्तर स्वीकृति, वाहन संचालन कार्य हेतु वाहन चालकों को कार्य पर रखने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 05 दिनांक 30.09.2016 पर प्रभारी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग की राय क्रमांक 398 दिनांक 18.10.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर 102 नग वाहन क्रय करने हेतु दिनांक 10.08.2016 को का प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स सांघी ब्रदर्स (इन्दौर) प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत प्रति वाहन न्यूनतम दर राशि रुपये 5,59,786/- (बीमा, पंजीयन व्यय राशि छोड़कर) के मान से राशि रुपये 5,70,98,172/- (102x5,59,786) पर क्रय करने की कार्योत्तर स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार दी जाती है।

3. वाहन संचालन हेतु 102 वाहन चालक अस्थाई मस्टर श्रमिकों रूप में कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) समयावधि दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक कार्य लेने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "संबंधित बजट मद" में से होगा। होगा। अस्थायी मस्टर वाहन श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय तत्कालीन समय में कार्यरत श्रमिकों के नाम व कार्यक्षेत्र के विवरण एवं प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

4. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।
इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिटर
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 137 दिनांक 18-11-2016

विभाग द्वारा नवीन वाहनों के संचालन व संधारण कार्य हेतु पूर्व से कार्यात अस्थाई कुशल/अकुशल श्रमिकों की अवधि वृद्धि सक्षम स्वीकृति अनुसार कार्य पर रखे गये श्रमिकों की पुष्टि एवं नवीन श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 04 दिनांक 05.08..2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु नोटशीट पृष्ठ 2 पर आयुक्त की स्वीकृति से अस्थाई रूप से रखे 350 मस्टर श्रमिकों की कार्योत्तर स्वीकृति/पुष्टि एवं अवधि समाप्ति दिनांक से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नितांत अस्थाई रूप से कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) 350 मस्टर श्रमिकों की अवधि वृद्धि दिनांक 31 मार्च 2017 तक की जाकर कार्य लेने की स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय "संबंधित बजट मद" में से होगा। अस्थायी मस्टर श्रमिकों की समय वृद्धि के प्रस्ताव प्रेषित करते समय तत्कालीन समय में कार्यरत श्रमिकों के नाम व कार्यक्षेत्र के विवरण एवं प्रभारी अधिकारी के प्रमाणीकरण के साथ प्रस्तुत किये जावे।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 138 दिनांक 18.11.2016

झोन क्रमांक 03 वार्ड क्र. 57 के अन्तर्गत रामबाग मेनरोड (सुभाष मार्ग) व रामबाग चौराहा से मल्हार आश्रम तक डामरीकरण कार्य करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 58 दिनांक 07/12/15 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर कार्य अनुमान पत्रक राशि रूपये 41,71,500/- के कार्य की तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

इस बाबत समस्त अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारीकी ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 139 दिनांक 18.11.2016

खसरे की भूमियों को विभक्त कर विक्रय की गई भूमियों पर चाही जाने वाली स्वयं के आवास की अनुमति पर उक्त भू-भाग के सम्मुख/आसपास विकास हेतु अतिरिक्त रूप से शुल्क निर्धारण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1198/का.से./दिनांक 05.08.016 पर प्रभारी योजना एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग की राय दिनांक 05.08.2016 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में नगरीय निकाय क्षेत्र अन्तर्गत नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर द्वारा विभिन्न खसरा भूमियों पर अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर आवदेक द्वारा "स्वयं के आवास" के लिए प्रस्ताव स्वीकृति (नक्शा स्वीकृति) हेतु प्रस्तुत करने पर ऐसे प्रकरणों में पूर्व में लिये जा रहे विकास शुल्कों (बाह्य विकास शुल्क व विकास शुल्क) के स्थान पर विकास हेतु एक ही "विकास शुल्क" रुपये 130/- प्रतिवर्गफीट लेने की विभाग प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति सर्वसम्मति से निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।

इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संलग्न एक फाईल।
2. रेसीडेन्टआडिट
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर